



प्रेषक,

वित्त अधिकारी

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

1. कुलपति/अध्यक्ष
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक: 2554 / पत्रा.सं.-57 / बै०वि०समिति / 2020-21 लखनऊ

दिनांक 10 मार्च, 2021

विषय: डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की वित्त समिति की 23वीं बैठक दिनांक 05.03.2021 के कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की वित्त समिति की दिनांक 05.03.2021 को सम्पन्न 23 वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(संजय सिंह)
वित्त अधिकारी

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के वित्त समिति की

तेइसवीं बैठक दिनांक: 05.03.2021 का कार्यवृत्त

समय -	अपराह्न: 01:00 बजे
स्थान -	पंचम तल स्थित सभागार डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की वित्त समिति की तेइसवीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा बिन्दु सं०	कार्यवाही
1/23	दिनांक 22.10.2020 को सम्पन्न वित्त समिति की बाइसवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। निर्णय:- वित्त समिति द्वारा दिनांक 02.06.2020 को सम्पन्न हुई 22वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/23	दिनांक 22.10.2020 को सम्पन्न वित्त समिति की बाइसवीं बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या। निर्णय:- वित्त समिति द्वारा उपरोक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया एवं निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये:- 1-वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की 5.768 हेक्टेयर भूमि पर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का कार्य हेतु शीघ्रता से कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। 2-वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में तैनात अधिकारियों के कैम्प कार्यालयों में प्रायः दैनिक आधार पर बैठके आयोजित की जाती है जिस हेतु आतिथ्य सत्कार के लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था आगन्तुकों हेतु की जाती है जिस पर वित्त समिति द्वारा कुलपति कैम्प, वित्त अधिकारी कैम्प, कुलसचिव कैम्प एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय हेतु पूर्व में लागू व्यवस्था के अनुसार आतिथ्य सत्कार व्यय किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। 3-वित्त समिति द्वारा परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही पूर्ण कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। 4-वित्त समिति द्वारा परीक्षा विभाग के लिए अलग खाता संचालित किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव पर पृथक रूप से खाता खोलकर वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

(Sanjay Singh)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University

(Anil Kumar Singh)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(Dr. Anil Singh)
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University

3/23	विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्रथम सेमेस्टर में विद्यार्थियों से शुल्क के रूप में धनराशि रु0 368.54 लाख की अनन्तिम प्राप्तियाँ हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु विश्वविद्यालय को वेतन मद में धनराशि रु0 1800.00 लाख तथा गैर वेतन मद में धनराशि रु0 300.00 लाख अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गयी है, जिसके सापेक्ष वेतन मद में धनराशि रु0 1636.97 तथा गैर वेतन मद में धनराशि रु0 317.14 लाख के व्यय किये गये हैं। निजी स्रोतों की प्राप्तियों के सापेक्ष प्राप्त शुल्क से कुल धनराशि रु0 314.69 लाख का व्यय किये गये हैं तथा बी.टेक. खाते में विद्यार्थियों से शुल्क के रूप में प्रथम सेमेस्टर के रूप में कुल धनराशि रु0 316.66 लाख की अनन्तिम प्राप्तियाँ हुई हैं जिसके सापेक्ष वर्तमान तक कुल धनराशि रु0 82.01 लाख के व्यय किये गये हैं। निर्णय:—वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 की वित्तीय स्थिति से अवगत होते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा वेतन एवं गैर वेतन की मदों में स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत तथा निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किये जाने वाले व्ययों तथा बी.टेक. पाठ्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में किये गये व्ययों की सीमा तक के व्ययों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय किये जाने पर इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वेतन, गैर वेतन, निजी स्रोतों की प्राप्तियों के सापेक्ष तथा बी.टेक. पाठ्यक्रम हेतु मदवार आय-व्यय अनुमान को तैयार कर (वित्तीय वर्ष 2020-21 के मदवार व्ययों के विवरण सहित) आगामी वित्त समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।
4/23	परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु पारिश्रमिक/मानदेय निर्धारण के सम्बन्ध में।
	निर्णय:—वित्त समिति द्वारा परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु पारिश्रमिक/मानदेय निर्धारण संबंधी प्रस्ताव के क्रम में :- पैराक्रमांक-2 के उपबिन्दु सं0-2 पर उल्लिखित परीक्षा संबंधी दायित्वों के निर्वहन के लिए वाह्य पर्यवेक्षक को मानदेय के रूप में धनराशि रु0 2000.00 एवं नियमानुसार यात्रा भत्ते के भुगतान पर डा0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। पैराक्रमांक-3 पर अंकित प्रस्ताव पर वांछित अनुमोदन प्रदान करते हुए तालिका के क्रम सं0-3 एवं 04 पर अंकित संविदा कर्मी/कम्प्यूटर आपरेटर/चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को परीक्षा कार्यों के लिए नकद मानदेय के भुगतान पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
5/23	सेमेस्टर/बैक पेपर परीक्षा मार्च, 2021 हेतु अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णय: —वित्त समिति द्वारा सेमेस्टर/बैक पेपर मार्च 2021 के लिए अग्रिम के रूप में धनराशि का भुगतान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
6/23	उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सापेक्ष चुनौती मूल्यांकन कराये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णय: —वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
7/23	मेडिकल पाठ्यक्रम के सप्लीमेण्ट्री शुल्क निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा मेडिकल पाठ्यक्रम के सप्लीमेण्ट्री परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क के रूप में प्रति विषय धनराशि रू0 3,500.00 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
8/23	मेडिकल पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक के निर्धारण के सम्बन्ध में।
	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा मेडिकल पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों को स्नातक स्तर पर न्यूनतम धनराशि रू0 200.00 तथा परास्नातक स्तर पर न्यूनतम धनराशि रू0 250.00 का पारिश्रमिक भुगतान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
9/23	बैक पेपर परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क के संशोधन के सम्बन्ध में।
	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा बैक पेपर परीक्षा हेतु शुल्क के रूप में धनराशि रू0 500.00 प्रति प्रश्न-पत्र निर्धारित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
10/23	विद्यार्थियों की अंकतालिका/उपाधि में संशोधन कराने तथा शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।
	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा अंकतालिका/उपाधि में संशोधन कराने हेतु शुल्क निर्धारण कराने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सामान्य विद्यार्थियों से उपरोक्त कार्यों हेतु शुल्क के रूप में धनराशि रू0 500.00 एवं दिव्यांग विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क न लिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
11/23	विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के सृजित पदों पर कार्यरत शिक्षकवृन्द को 7वें वेतन आयोग के अनुसार मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान करते हुए शिक्षकवृन्द को नियमानुसार एरियर का भुगतान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
12/23	शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पुनः पंजीकरण शुल्क का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थियों से प्राप्त किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्कों के निर्धारण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
13/23	विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण, कुलानुशासक मण्डल एवं प्रोवोस्टगण को दिये जाने वाले मानदेय को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के महिला/पुरुष छात्रावासों हेतु नामित पदाधिकारियों द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों की देखभाल/समस्याओं के निस्तारण हेतु रात्रि में भी प्रायः सेवाएँ दी जाती हैं। निर्णय:-वित्त समिति द्वारा उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त छात्रावास पुरुष/महिला के चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट/प्रोवोस्ट/सहायक प्रोवोस्ट को प्रस्तावित मानदेय के क्रम मानदेय के रूप में दोगुना भुगतान कराये जाने पर सहमति व्यक्त की

	गयी तथा तालिका सं०-2 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में वित्त समिति द्वारा कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति कैम्प कार्यालय/वित्त अधिकारी कैम्प कार्यालय कुलसचिव कैम्प कार्यालय तथा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के प्रयोगार्थ एक-एक डोंगल उपलब्ध कराने एवं अन्य अधिकारियों को दूरभाष रिचार्ज एवं इण्टरनेट की सुविधा को तत्काल समाप्त कराये जाने के निर्देश दिये गये।
14/23	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु:-
(1)	स्टेडियम हेतु पृथक से खाता खोले जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त स्टेडियम से सम्बन्धित उपकरणों का क्रय,साफसफाई विद्युत शुल्क आदि अन्य व्ययों को गैर वेतन मद से किये जाने के निर्देश प्रदान करते हुए पृथक से खाता खोले जाने हेतु यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।
(2)	वित्तीय वर्ष 2019-20 की बैलेंसशीट पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।
	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु मेसर्स राम श्रीवास्तव एण्ड कम्पनी द्वारा तैयार की गयी बैलेंसशीट को अवलोकित करते हुए वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।
(3)	वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय अनुमान पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।
	वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के नैतिक संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु उ०प्र० शासन द्वारा मानक मद सं०-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में धनराशि रू० 2300.00 लाख तथा मानक मद सं०-20 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में धनराशि रू० 1035.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है,जिसके सापेक्ष वेतन एवं गैर वेतन की विभिन्न मदों में नियमानुसार व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।
	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु विश्वविद्यालय की नैतिक आवश्यकताओं के लिए उ०प्र० शासन द्वारा वेतन एवं गैर वेतन की मदों में स्वीकृत अनुदान तथा निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष तथा बी.टेक.पाठ्यक्रम हेतु किये गये वाले व्ययों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में हुए व्यय की सीमा तक वित्तीय वर्ष 2021-22 में नियमानुसार व्यय किये जाने पर इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वेतन, गैर वेतन, निजी स्रोतों की प्राप्तियों के सापेक्ष तथा बी.टेक. पाठ्यक्रम हेतु मदवार आय-व्यय अनुमान को तैयार कर (वित्तीय वर्ष 2020-21 के मदवार व्ययों के विवरण सहित) आगामी वित्त समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए।
(4)	विशिष्ट स्टेडियम का संचालन किये जाने हेतु सृजित होने वाले नवीन पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों तथा सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की सेवाए प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।
	विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांगजनों के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के लिए विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण कराया गया है।यह विशिष्ट स्टेडियम दिव्यांगजन को अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की पैराओलम्पिक खेलों के लिए उपयुक्त है। ऐसे विशिष्ट स्टेडियम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु विभिन्न श्रेणी के पदों पर कार्मिकों की आवश्यकता के दृष्टिगत पदों के सृजन की आवश्यकता

(Sandeep Singh)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University

(Amit Kumar Singh)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(श्री० संजय कुमार सिंह)
जो. सहायक कुलपति
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	प्रतीत हुई, जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय स्तर से उ०प्र० शासन को उक्त सृजित होने वाले पदों का परीक्षण कराने हेतु कुल धनराशि रू० 156.78 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त सृजित होने वाले नवीन पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की सेवाएँ प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार का वहन विश्वविद्यालय अनुदान से किये जाने का प्रस्ताव है।
	निर्णय: —वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु दिव्यांगजनों हेतु तैयार किये गये स्टेडियम के कुशलतापूर्वक संचालन हेतु सृजित होने वाले पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की सेवाएँ प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप वेतन एवं मानदेय मद में आने वाले अतिरिक्त व्ययभार अनुमानित धनराशि रू० 156.78 लाख का वहन किये जाने पर वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।
(5)	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु विशिष्ट स्टेडियम के संचालन के लिए गैर वेतन मद में बजट प्रावधान कराने हेतु प्रेषित किये गये आय-व्यय अनुमान पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।
	समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विश्वविद्यालय परिसर में दिव्यांगजन हेतु एक विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त नवनिर्मित विशिष्ट स्टेडियम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास तथा विद्युत उपभोग शुल्क के भुगतान आदि के दृष्टिगत गैर वेतन मद में व्यय की जाने वाली कुल अनुमानित धनराशि रू० 3311.70 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु धनराशि रू० 536.50 लाख का बजट प्रावधान कराने हेतु उ०प्र० शासन को प्रेषित की गयी नवीन मांग पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है।
	निर्णय: —वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु दिव्यांगजनों हेतु तैयार किये गये स्टेडियम के कुशलतापूर्वक संचालन हेतु व्यय की जाने वाली कुल अनुमानित धनराशि रू० 3311.70 लाख के सापेक्ष धनराशि रू० 536.50 करोड़ का बजट प्रावधान कराने हेतु नवीन मांग को प्रेषित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
(6)	विशिष्ट स्टेडियम एवं फुटबाल फील्ड में कस्टमाइज्ड उपकरण तथा खेलकूद सम्बन्धी सामग्री के क्रय पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।
	दिव्यांगजनों के लिए तैयार किये गये विशिष्ट स्टेडियम, विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन, पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों यथा—बी.पी.ओ., बी.ए.एस.एल.पी. तथा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र हेतु आवश्यक फर्नीचर, उपकरण तथा खेलकूद सम्बन्धी सामग्री के क्रय पर अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में मा० समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि निर्माणकर्ता कार्यदायी संस्था द्वारा विश्वविद्यालय में स्थापित इन्डोर स्टेडियम एवं रनिंग ट्रैक को विश्वविद्यालय को हस्तगत किया जा चुका है। उक्त के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के आवश्यक खेलकूद की सामग्रियों, जिम आदि से सम्बन्धित उपकरणों को क्रय किये जाने हेतु परियोजना प्रबंधक, यूनिट-26 कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जलनिगम, लखनऊ द्वारा कुल धनराशि रू० 497.84 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया था। इसी क्रम वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अनुदान सं०-79 के लेखाशीर्षक 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूजीगत परिव्यय-02—समाजकल्याण, 101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, 19—डा० शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश दिव्यांग विश्वविद्यालय के मानक मद सं०-26 मशीन और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के अधीन विश्वविद्यालय के पत्रांक सं०-1846 दिनांक 04.01.2021 द्वारा उक्त प्राप्त आगणन के अनुसार कुल धनराशि रू० 497.84 लाख (समस्त करों एवं शुल्क सहित) का आय-व्यय अनुमान उपलब्ध कराने हेतु

	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० शासन को प्रस्ताव अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रस्तावित है।
	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा दिव्यांगजनों हेतु तैयार किये गये स्टेडियम के कुशलतापूर्वक संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उ०प्र० शासन से बजट स्वीकृति/धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।
(7)	कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के कस्टमाइज्ड लैब हेतु आवश्यक फर्नीचर/उपकरण क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
	समिति को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में बी.पी.ओ., बी.ए.एस.एल.पी. तथा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु पृथक से नवीन भवन परिसर निर्मित हो चुका है। कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के लिए आवश्यक फर्नीचर/मशीने तथा विभिन्न प्रकार के लैबो हेतु आवश्यक उपकरणों को क्रय किये जाने के लिए परियोजना प्रबंधक, यूनिट-26 कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा कुल धनराशि रु० 212.87 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया था, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक सं०-1855 दिनांक 04.01.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के कस्टमाइज्ड लैब हेतु आवश्यक फर्नीचर/उपकरणों को क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रु० 212.87 लाख का बजट स्वीकृति/आवंटन कराने का प्रस्ताव उ०प्र० शासन को प्रेषित किया गया है, जिस पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रस्तावित है।
	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के कस्टमाइज्ड लैब हेतु फर्नीचर/मशीने तथा आवश्यक उपकरणों को क्रय किये जाने के लिए प्रेषित किये गये कुल धनराशि रु० 212.87 लाख के बजट स्वीकृति/आवंटन सम्बन्धी प्रस्ताव पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में वित्त समिति की बैठक का समापन सधन्यवाद किया गया।

(Sanjay Singh)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University

(Amit Kumar Singh)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(प्रो० अरुण के. सिंह)
08/3/2021
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ